पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मांग संख्या 25 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

(₹करोड़)

	वास्तविक 2018-2019			ब जट 2019-2020			संशोधित 2019-2020			बजट 2020-2021			
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	
- कुल	2578.20	45.67	2623.87	2998.20	64.52	3062.72	2670.77	46.55	2717.32	3052.23	157.55	3209.78	
वसूलियां	-32.38		-32.38	-100.00		-100.00	-50.00		-50.00	-100.00		-100.00	
प्राप्तियां प्राप्तियां	-5.92		-5.92	-8.00		-8.00	-9.38		-9.38	-9.78		-9.78	
निवल	2539.90	45.67	2585.57	2890.20	64.52	2954.72	2611.39	46.55	2657.94	2942.45	157.55	3100.00	
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:													
केंद्र का व्यय													
केन्द्र का स्थापना व्यय													
1. सचिवालय	131.80		131.80	143.00		143.00	137.25		137.25	139.00		139.00	
2. संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालय													
2.01 क्षेत्रीय कार्यालय	32.88	1.43	34.31	36.00	5.00	41.00	34.38	0.90	35.28	36.00	1.00	37.00	
2.02 राष्ट्रीय वनरोपण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड	8.50		8.50	9.00		9.00	7.74		7.74	9.00		9.00	
2.03 राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय	7.79		7.79					***					
2.04 भारतीय वन सर्वेक्षण	32.75	0.40	33.15	35.00	0.52	35.52	34.00	0.65	34.65	35.00	0.40	35.40	
2.05 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी	49.86	3.40	53.26	52.00	13.00	65.00	50.19	8.00	58.19	50.00	17.15	67.15	
2.06 राज्य वन सेवा एवं रेंजर कॉलेज	15.23	5.03	20.26	17.00	6.00	23.00	16.75	5.00	21.75	17.00	8.00	25.00	
2.07 वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो	10.73		10.73	14.00		14.00	11.00		11.00	14.00		14.00	
2.08 राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्थान	3.99		3.99										
2.09 भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण	66.56	8.61	75.17	76.00	10.00	86.00	76.00	9.00	85.00	76.00	12.00	88.00	
2.10 भारतीय प्राणिशास्त्र सर्वेक्षण	66.91	4.37	71.28	72.00	10.00	82.00	71.64	8.00	79.64	72.00	25.00	97.00	
2.11 राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय	11.91	17.59	29.50	12.50	10.00	22.50	12.50	10.00	22.50	12.50	20.00	32.50	
2.12 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण	36.21		36.21	42.00		42.00	36.40		36.40	40.00	61.00	101.00	
जोड़- संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालय	343.32	40.83	384.15	365.50	54.52	420.02	350.60	41.55	392.15	361.50	144.55	506.05	
3. राष्ट्रीय प्राणी उद्यान													
3.01 सकल बजटीय सहायता	23.01	4.84	27.85	23.00	10.00	33.00	22.80	5.00	27.80	23.00	13.00	36.00	
3.02 अल्प गेट प्राप्तियां	-5.92		-5.92	-8.00		-8.00	-9.38		-9.38	-9.78		-9.78	
निवल	17.09	4.84	21.93	15.00	10.00	25.00	13.42	5.00	18.42	13.22	13.00	26.22	
4. राष्ट्रीय प्राधिकरण													

(₹करोड़)

	वास्तविक 2018-2019			बजट 2019-2020			संशोधित 2019-2020			्र कराड़) बजट 2020-2021		
	राजस्व	पूंजी	जोड़		पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	⁻ जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
		···		100.00	···	100.00	50.00		50.00	100.00		100.00
4.02 राष्ट्रीय क्षतिपूर्ति वनीकरण निधि से प्राप्त राशि घटाएं				-100.00		-100.00	-50.00		-50.00	-100.00		-100.00
	<u>वल</u>										•••	
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	492.21	45.67	537.88	523.50	64.52	588.02	501.27	46.55	547.82	513.72	157.55	671.27
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
पर्यावरण ज्ञान और क्षमता निर्माण												
5. वानिकी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण												
5.01 कार्यक्रम घटक	8.18		8.18	10.80		10.80	10.80		10.80	11.37		11.37
5.02 ईएपी घटक	20.34		20.34									
जोड़- वानिकी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण	28.52		28.52	10.80		10.80	10.80		10.80	11.37		11.37
6. पारिस्थितिकी कार्य बल	112.85		112.85	75.00		75.00	75.00		75.00	75.00		75.00
जोड़-पर्यावरण ज्ञान और क्षमता निर्माण	141.37		141.37	85.80		85.80	85.80		85.80	86.37		86.37
राष्ट्रीय तटीय प्रबन्धन कार्यक्रम												
7. राष्ट्रीय तटीय मिशन (एनसीएम)												
7.01 कार्यक्रम घटक	9.55		9.55	20.00		20.00	16.00		16.00	18.00		18.00
7.02 ईएपी घटक	120.00		120.00	75.00		75.00	80.00		80.00	85.00		85.00
जोड़- राष्ट्रीय तटीय मिशन (एनसीएम)	129.55	***	129.55	95.00	***	95.00	96.00		96.00	103.00	***	103.00
पर्यावरण संरक्षण, प्रबन्धन और धारणीय विकास												
8. प्रदूषण उपशमन	19.72		19.72	10.00		10.00	10.00		10.00	10.00		10.00
9. घातक पदार्थों का प्रबंधन (एचएसएम)												
9.01 कार्यक्रम घटक	12.96		12.96	15.00		15.00	4.25		4.25	12.00		12.00
9.02 ईएपी घटक												
जोड़- घातक पदार्थों का प्रबंधन (एचएसएस)	12.96		12.96	15.00		15.00	4.25		4.25	12.00		12.00
10. जलवायु परिवर्तन कार्रवाई योजना	33.17		33.17	40.00		40.00	15.00		15.00	40.00		40.00
11. राष्ट्रीय अनुकूलन कोष	109.78		109.78	100.00		100.00	40.00		40.00	80.00		80.00
12. हिमालय अध्ययन पर राष्ट्रीय मिशन	50.00		50.00	50.00		50.00	47.00		47.00	50.00		50.00
जोड़-पर्यावरण संरक्षण, प्रबन्धन और धारणीय विकास	225.63	•••	225.63	215.00	•••	215.00	116.25	•••	116.25	192.00	•••	192.00
पर्यावरण जागरूकता, नीति, आयोजना और परिणाम मूल्यांकन हेतु निर्णय सहायक प्रणाली												
13. पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता और प्रशिक्षण	69.45		69.45	82.00		82.00	72.00		72.00	114.36		114.36
14. पर्यावरण सूचना प्रणाली (ईएनवीआईएस)	23.84		23.84	46.00		46.00	28.00		28.00	40.00		40.00
15. उत्कृष्टता के केन्द्र	14.06		14.06	15.00		15.00	11.50		11.50	14.00		14.00
16. संरक्षण और विकास के लिए अनुसंधान और विकास	1.56		1.56	10.00		10.00	4.50		4.50	7.50		7.50
जोड़-पर्यावरण जागरूकता, नीति, आयोजना और परिणाम मूल्यांकन हेतु निर्णय सहायक प्रणाली	108.91		108.91	153.00		153.00	116.00		116.00	175.86		175.86
17. प्रदूषण नियंत्रण	4.95		4.95	460.00		460.00	445.00		445.00	460.00		460.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	610.41		610.41	1008.80		1008.80	859.05		859.05	1017.23	•••	1017.23

(₹करोड़)

	वास्त्रविव	ਸ 2018-20	10	ब जट 2019-2020			संशोधित 2019-2020			(१ कराइ) बजट 2020-2021		
					.७ <i>13-</i> 2020 पूंजी	जोड़						जोड़
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	राजरव	1,011	ر اان ا	101(4	1,011	ر ۱۱۰	101(4	Įon	ÇIIQ	101(4	1011	چ _{اا} ن
सांविधिक और विनियामक निकाय												
18. पशु कल्याण बोर्ड	9.78		9.78									
19. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	114.42		114.42	100.00		100.00	100.00		100.00	100.00		100.00
20. केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण	12.00		12.00	15.00		15.00	8.50		8.50	12.00		12.00
21. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण	19.00		19.00	22.00		22.00	20.00		20.00	23.00		23.00
22. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण	9.87		9.87	10.00		10.00	9.00		9.00	10.50		10.50
जोड़-सांविधिक और विनियामक निकाय	165.07		165.07	147.00		147.00	137.50		137.50	145.50		145.50
स्वायत्त निकाय												
23. जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण और विकास के संस्थान	27.50		27.50	27.90		27.90	25.00		25.00	28.00		28.00
24. भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद	220.99		220.99	215.00		215.00	230.00		230.00	230.00		230.00
25. भारतीय वन प्रबंधन संस्थान	34.99		34.99	37.00	***	37.00	32.00	***	32.00	37.00		37.00
26. भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान	10.00		10.00	11.00		11.00	10.00	•••	10.00	11.00		11.00
27. भारतीय वन्यजीव संस्थान	33.00		33.00	34.00		34.00	30.00	•••	30.00	34.00		34.00
जोड़-स्वायत्त निकाय	326.48		326.48	324.90		324.90	327.00		327.00	340.00		340.00
अन्य												
28. वास्तविक वसूलियां	-32.38		-32.38									
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	459.17		459.17	471.90		471.90	464.50		464.50	485.50		485.50
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
पर्यावरण, वानिकी और वन्य जीव												
29. हरित भारत संबंधित राष्ट्रीय मिशन												
29.01 हरित भारत मिशन- राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम	175.82		175.82	179.00		179.00	179.00		179.00	246.00		246.00
29.02 ग्रीन इंडिया मिशन-राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम (ईएपी घटक)	1.00		1.00	11.00		11.00	11.00		11.00	15.00		15.00
29.03 वन की आग की रोकथाम और प्रबंधन	46.58		46.58	50.00	***	50.00	47.00	***	47.00	50.00		50.00
जोड़- हरित भारत संबंधित राष्ट्रीय मिशन	223.40		223.40	240.00	***	240.00	237.00	***	237.00	311.00		311.00
30. वन्यजीव वास स्थानों का समेकित विकास												
30.01 बाघ परियोजना	323.44		323.44	350.00		350.00	282.57		282.57	300.00		300.00
30.02 हाथी परियोजना	29.75		29.75	30.00		30.00	31.00		31.00	35.00		35.00
30.03 वन्य जीव आवासों का विकास	164.59		164.59	175.00		175.00	175.00		175.00	148.41		148.41
30.04 वन्यजीव का पर्यावास विकास (ईएपी घटक)	10.00		10.00	5.00		5.00	5.00		5.00	48.59		48.59
जोड़- वन्यजीव वास स्थानों का समेकित विकास	527.78		527.78	560.00		560.00	493.57		493.57	532.00		532.00
31. राष्ट्रीय संसाधन तथा पारिस्थितिकियों का संरक्षण												

(₹करोड़)

	वास्तवि	क 2018-20	ब जट 2019-2020			संशोधित	т 2019-202	0	बजट 2020-2021			
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
31.01 जैव विविधता संरक्षण	13.00		13.00	16.00		16.00	9.00		9.00	13.00		13.00
31.02 जलीय पारिस्थितिकी का संरक्षण	63.60		63.60	68.40		68.40	45.40		45.40	68.40		68.40
31.03 जलीय पारिस्थिति का संरक्षण (ईएपी घटक)				1.60		1.60	1.60	***	1.60	1.60	***	1.60
जोड़- राष्ट्रीय संसाधन तथा पारिस्थितिकियों का संरक्षण	76.60		76.60	86.00		86.00	56.00		56.00	83.00		83.00
32. राष्ट्रीय नदी सर्वेक्षण कार्यक्रम												
32.01 कार्यक्रम घटक	143.50		143.50	***				***		***	•••	
32.02 ईएपी घटक	6.83		6.83	***				***		***	•••	
जोड़- राष्ट्रीय नदी सर्वेक्षण कार्यक्रम	150.33		150.33									
जोड़-पर्यावरण, वानिकी और वन्य जीव	978.11		978.11	886.00		886.00	786.57	•••	786.57	926.00		926.00
जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	978.11		978.11	886.00		886.00	786.57		786.57	926.00		926.00
कुल जोड़	2539.90	45.67	2585.57	2890.20	64.52	2954.72	2611.39	46.55	2657.94	2942.45	157.55	3100.00
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. वानिकी और वन्य जीवन	662.25		662.25	680.80		680.80	666.88	***	666.88	599.19	•••	599.19
2. पारिस्थितिकी और पर्यावरण	803.25		803.25	1218.60		1218.60	1073.31	***	1073.31	1227.26	•••	1227.26
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	131.80		131.80	143.00		143.00	137.25		137.25	139.00		139.00
 वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजी परिव्यय 		15.10	15.10		34.52	34.52		19.55	19.55		39.55	39.55
 अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय 		30.57	30.57		30.00	30.00		27.00	27.00		118.00	118.00
जोड़-आर्थिक सेवाएं अन्य	1597.30	45.67	1642.97	2042.40	64.52	2106.92	1877.44	46.55	1923.99	1965.45	157.55	2123.00
 6. पूर्वोत्तर क्षेत्र				181.00		181.00	165.50		165.50	180.00		180.00
7. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	936.17		936.17	665.30		665.30	567.95		567.95	795.50		795.50
 संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान 	6.43		6.43	1.50		1.50	0.50		0.50	1.50		1.50
जोड़-अन्य	942.60		942.60	847.80		847.80	733.95		733.95	977.00		977.00
कुल जोड़	2539.90	45.67	2585.57	2890.20	64.52	2954.72	2611.39	46.55	2657.94	2942.45	157.55	3100.00

1 - 4. केंद्र का स्थापना व्यय: यह प्रावधान राष्ट्रीय प्राणी उद्यान और राष्ट्रीय प्राधिकरण सहित संलग्न/अधीनस्थ कार्यालयों के सचिवालय खर्च के लिए है।। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सूचना प्रौद्योगिकी और पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन के अन्य प्रतिष्ठान संबंधित व्यय प्रावधान सचिवालय में जोड़े गए हैं।

5 और 6. पर्यावरणीय ज्ञान और क्षमता निर्माण - अम्ब्रेला सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम की दो उप-स्कीमें - (i) वानिकी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण (ii) इको टास्क फोर्स हैं। योजना 'वानिकी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण' का लक्ष्य वानिकी क्षेत्र के कर्मियों के प्रशिक्षण की पूरी जरूरत को कवर करना है। इको टास्क योजना रक्षा मंत्रालय के माध्यम से दूरस्थ स्थान या गंभीर गिरावट के क्षेत्रों की पारिस्थितिकी बहाली प्रदान करने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। 7. राष्ट्रीय तट प्रबंधन कार्यक्रम : मंत्रालय का उत्तरदायित्व मछुआरों सहित तटीय समुदायों की आजीविका की सुरक्षा; वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर तटीय भागों का संरक्षण, सुरक्षा का सुनिश्चित करना होता है और वहनीय विकास को बढ़ावा देना होता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में संरक्षण, सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय द्वारा तटीय राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में विश्व बैंक की सहायता से एकीकृत तटीय जोन प्रबंधन परियोजना भी क्रियान्वित की जा रही है।

8-12. पर्यावरण-संरक्षण, प्रबंधन और वहनीय विकास : अम्ब्रेला स्कीम स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के विकास और औद्योगिक संयंवों में प्रदूषण का उपशमन करने में भी सहायता देता है। जलवायु परिवर्तन के खतरे की बढ़ती मान्यता और घरेलू नीति निर्माण एवं नियोजन के क्षेत्र के रूप में इसके महत्वे को इस अम्ब्रेला स्कीम के अंतर्गत पहचान मिली है, जिसके अंतर्गत प्रदूषण उपशमन के कार्यक्रमों/परियोजनाओं, खतरनाक पदार्थों के प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन कार्य योजना, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि और राष्ट्रीय हिमालय अध्ययन मिशन को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

- 13 16 पर्यावरण के प्रति जागरूकता, नीति, नियोजन और निष्कर्ष मूल्याकंन के लिए निर्णय सहायता प्रणाली : स्कीम प्रदर्शनियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता का सृजन करता है और पर्यावरण संबंधी शिक्षा प्रदान करता है। अन्य उद्देश्यों में पर्यावरण से जुड़ी सूचना का संग्रह, बड़े पैमाने पर पणधारियों को सूचना का संप्रेषण और पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रमुख हैं। पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता और प्रशिक्षण के लिए प्रावधानों में मीडिया, प्रचार और सूचना और स्वच्छता कार्य योजना के प्रावधान शामिल हैं।
- 17. **प्रदूषण नियंत्रण:** प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों /सिमितियों को वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण की अवधारणा रखी गई है। जिसमें राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) को वित्तपोषण।
- 18 22. सांविधिक और विनियामक निकाय : मंत्रालय चार निकायों केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण (सीजेडए), राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (एनवीए) और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) को सहायता देता है।
- 23 27. स्वायत्त निकाय: मंत्रालय अनुसंधान और विकास कार्यों में लगे विभिन्न स्वायत्त निकायों/संस्थानों, नामत: भारतीय वानिकी प्रवंधन संस्थान (आईआईएफएम), भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई), भारतीय प्लाईबुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (आईपीआईआरटीआई), भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्यूरश आईआई), जी.बी. पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण और वहनीय विकास संस्थान (जीबीपीएनआईएचईएसडी) को सहायता देता है।
- 29. **हरित भारत संबंधित राष्ट्रीय मिशन:** वन क्षेत्र में वृद्धि और मौजूदा वन भूमि की सुरक्षा के लिए मंत्रालय की दो योजनागत स्कीमें हैं, नामत: हरित भारत मिशन -राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम और वन अग्नि निवारण प्रबंधन। वन प्रबंधन योजना की गहनता का नाम 2018-19 में वन अग्नि निवारण प्रबंधन में बदल दिया गया है।
- 30. **बन्यजीव वास स्थानों का समेकित विकास:** देश के वन्योजीवों के संरक्षण के लिए मंत्रालय की तीन मुख्य स्कीमें है; नामत: बाघ परियोजना, हाथी परियोजना और वन्यजीव पर्यावासों का विकास।
- 31. **राष्ट्रीय संसाधन तथा पारिस्थितिकियों का संरक्षण:** देश के प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी-प्रणाली के संरक्षण के लिए मंत्रालय जैव-मंडल, नमभूमि और झील जैसे क्षेत्रों में प्रयास करता रहा है।
- 32. **राष्ट्रीय नदी सर्वेक्षण कार्यक्रम:** यह स्कीम 2019-20 से जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग को अंतरित की गई है।